अध्याय 6: प्रजनन स्वास्थ्य में मुद्दे

*गर्भपात*:

गर्भपात के सम्बन्ध में तीन तीखी बहसें उनके बीच उठती हैं जो यह दावा करते हैं कि एक महिला को गर्भपात चयन करने का अयोग्य अधिकार है.और जो यह तर्क देते हैं कि क्योंकि प्रत्येक भ्रूण जीने का अधिकार रखता है इसलिए गर्भपात करवाना हत्या के समतुल्य है.( भारतीय सवोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक ---?) अमेरीकी सवोच्च न्यायालय का 1973 का रोस बनाम वाढे का निर्णय है. गर्भपात को प्रतिबंधित करनेवाले राज्य कानून संकीर्ण रूप से परिभाषित परिस्थितियों को छोड़कर असंवैधानिक थे. जबकि 67 ने गर्भपात को क़ानूनी बना दिया, इसकी नैतिक स्वीकार्यता के बारे में विवाद जारी है. (भारतीय स्थिति लेनी है) दूसरे मामले में स(हरी बनाम मारक) कोर्ट ने तथाकथित हरी संशोधन की संवैधानिक स्थिति को लिया जिसमें उन मामलों में चिकित्सकीय पोषण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसमें माँ का जीवन जोखिम में है या गर्भधारण बलात्कार अथवा कुटुम्बक व्यभिचार से हुआ है.(भारत में क्या?) चूँकि चिकित्सकीय कार्यक्रम गरीबों के स्वास्थ्य देखरेख केलिए सरकारी वित्त पोषण करता है, इसलिए निर्णय का मतलब है कि गरीब महिलाऐं मुश्किल से ही गर्भपात केलिए सार्वजनिक धन प्राप्त होता है.

 यधपि, गर्भपात कानून के विपरीत नहीं है किन्तु यह बहुतों की पहुँच से दूर है. चयन के अधिकार के पक्षधर तर्क देते हैं कि यह नीति सामाजिक न्याय के आधारों पर नैतिक रूप से अनुचित है.

 गर्भपात सम्बन्धी नैतिक समस्याओं को देखने का एक नजरिया भ्रूण के नैतिक दर्जे का परीक्षण है. नैतिक दर्जे के मुद्दे को (जानवर पेड़-पौधे, निर्जीव-सजीव ) उन लेखकों ने भी उठाया है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंद्ध हैं. भ्रूण की नैतिक स्थिति को कैसे निर्धारित किया जाये, वह व्यक्ति है या नहीं? जो गर्भपात पर रूढ़िवादी स्थिति रखते हैं वे कहते हैं कि विकसित होता जीव वह अधिकार रखता है जो एक विकसित मानवीय सत्ताएँ रखती हैं. यदि हम भ्रूण को नैतिक दर्जा देना चाहते हैं तो यह कहता है कि गर्भपात मारने समतुल्य है जिसको भुत ही सीमित परिस्थितियों में, न्यायसंगत कहा जा सकता है जैसे कि माँ का जीवन खतरे में है.इस दृष्टिकोण के पक्षकार कहते हैं कि राज्य जिसका दायित्व अपने कमजोर लोगों को सुरक्षा मुहैया करना है, इस हद तक बढ़ाया जाना चाहिए की अजन्मे की सुरक्षा हो सके.

 दूसरी तरफ, यदि भ्रूण एक व्यक्ति के रूप में नैतिक दर्जा नहीं रखता है तो गर्भपात ऊतक के किसी अन्य टुकड़े को हटाने से अधिक नैतिक रूप से समस्याग्रस्त नहीं है. आमतौर पर उदार स्थिति भ्रूण को कोई अधिकार नहीं देती है, इसकी बजाय गर्भवती महिला के स्वायत्तनिर्णय के अधिकार पर जोर देती है. इस दृष्टि से गर्भपात नैतिक रूप से गर्भ-निरोध की तरह है, संभावित व्यक्ति को रोकना.

 गर्भपात पर संयमित दृष्टि भ्रूण को एक व्यक्ति के आधार पर है अथवा बाद में व्यक्ति के रूप में विकसित होने की मजबूत समानताओं के आधार पर आंशिक नैतिक दर्जा देती है. इस दृष्टि से, कुछ गर्भपात न्यायोचित हैं जबकि दूसरे नहीं. इसको निर्धारित करने केलिए क्या कारण प्रासंगिक हैं?

 कुछ कहते हैं कि गर्भवती महिला के गर्भपात चाहने का कारण चाहे न्याय संगत हैं या नहीं. कुछ कहते हैं कि भ्रूण की विकास की अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए.

 भ्रूण के जैविक विकास में कुछ बिंदु पर रेखा खींचने का प्रयास किया गया है जिसके बाद किसी व्यक्ति का नैतिक दर्जा होता है. इस तरह के बिंदु जैसे आरोपण, स्पंदन,जीवन शक्ति, इस तरह की रेखा खींचने केलिए उपयुक्त जगह है. सर्वोच्च न्यायालय ने रोजा बनाम वेड मामले में (भारत की स्थिति?) रेखा खींचने की समस्याओं को संबोधित किया था और जीवन शक्ति पर रेखा खींची थी और नियम बना दिया कि राज्य इस बिंदु के बाद गर्भपात को निषिद्ध या नियमन कर सकता है. यधपि, विकसित होते भ्रूण की जारी प्रक्रिया में किसी स्थिति विशेष पर रेखा खींचना नैतिक रूप से प्रासंगिकता स्थापित करना बड़ा कठिन है.

 रूढ़िवादी अक्सर तर्क देते हैं कि गर्भधारण एकमात्र गैर-विचित्र बिंदु है जिस पर रेखा खींची जा सकती है. वे slopy slipper तर्क रूप में संदर्भित किया जानेवाले तर्क को काम में लेते हैं. जो कुछ भी रेखा खींची जाती है उसको बनाये रखते हुए कि यह आवश्यक रूप से गर्भाधान के बिंदु पर वापस आ जायेगा.

 दूसरी अति पर कुछ उदारवादी नीतिज्ञ व्यक्ति का प्रस्तावित मापदंड रखते हैं जिसमें नवजात शिशुओं को बहार करेगा. इस तरह की स्थिति यह सुभाव देती है कि रेखा को जन्म के बाद खींची जानी चाहिए जो गर्भपात के साथ-साथ शिशु के नैतिक औचित्य की ओर जाता है.

 जब रेखा खींचने की मध्यम स्थिति विकसित करने का एक तरीका है, तब भी अन्य रणनीतियां काम में लायी जाती हैं. मध्यम स्थितिवालों का तर्क है कि यदि यह भी है कि भ्रूण नैतिक दर्जा रखता है(जैसा कि रूढ़िवादी तर्क देते हैं)

 कुछ मामलों में गर्भपात स्वीकार्य है. दूसरे मध्यम स्थिति वाले उदारवादी स्थिति लेते हुए कहते हैं कि भ्रूण नैतिक दर्जा नहीं रखता है .जब आप इससे इंकार कर रहे होते हैं कि सभी गर्भपात स्वीकार्य हैं.

 निम्नलिखित लेख में जेन इंग्लिस का पहला तर्क है कि यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि

1. भ्रूण व्यक्ति है या नहीं.
2. रेखा कहाँ खींचे?

 इसी तरह की अन्य रणनीतियों का उपयोग करते हुए वह उदारवादी और रूढ़िवादी दृष्टियों के बीच मध्यम रास्ता निकालने केलिए दो तर्क देती हैं.

*जेन इंग्लिस*

*गर्भपात और व्यक्ति की संकल्पना:*

गर्भपात पर बहस जारी है. अभी तक की दो सबसे लोकप्रिय दृष्टियों को स्पष्ट रूप से गलत समझा हुआ प्रतीतहोता है. मानव जीवन संकल्पना के रूप में शुरू होता है इसलिए गर्भपात गलत होना चाहिए क्योंकि यह हत्या है. किन्तु मनुष्य को सभी तरह से मारना हत्या नहीं है इसका सुस्थापित उदाहरण आत्मरक्षा केलिए यहाँ तक कि निर्दोष व्यक्ति को मारना भी न्यायसंगत हो सकता है.

 दूसरी तरफ, उदारवादी उनके तर्क को गलत लिया गया है कि चूँकि भ्रूण जन्म लेने से पहले तक व्यक्ति नहीं बना है इसलिए महिला अपने शरीर के साथ जो कुछ चाहे, कर सकती है. पहला तो यही है कि आप अपने शरीर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो यदि यह दूसरे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. दूसरा, यदि भ्रूण व्यक्ति नहीं है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसके साथ आप चाहें जो कर सकते हैं. उदाहरण केलिए, जानवर व्यक्ति नहीं है फिर भी उनको बिना कारण प्रताड़ित करना अथवा मारना गलत है.

 इस पूरी बहस का केन्द्रीय मुद्दा तब उठता है जब यह वयस्कता और डिम्बक्षरण –डिम्बोत्सर्जन के बीच होता है. जब एक व्यक्ति दृश्य पर दिखाई देता है. रूढ़िवादी गर्भाधान के समय से रेखा खींचते हैं तो उदारवादी जन्म के समय से. इस पेपर में सबसे पहले मैं व्यक्ति से सम्बन्ध में हमारी धारणा पर विचार करूंगी और निष्कर्ष दूंगी कि व्यक्ति की संकल्पना का कोई एक मापदंड नहीं पकड़ा जा सकता है. और कोई रेखा स्पष्ट नहीं खींची जा सकती है. आगे मैंने तर्क दिया है कि यदि भ्रूण व्यक्ति है तब भी बहुत से मामलों में गर्भपात न्यायोचित है: और यदि भ्रूण व्यक्ति नहीं है तो इसे करना बहुत से मामलों में गलत है. व्यापक परिपेक्ष्य में इन दोनों समाधानों पर सहमति है. मैं यह निष्कर्ष निकालती हूँ कि एक व्यक्ति की हमारी संकल्पना उस वजन को सहन नहीं कर सकती है जिस पर गर्भपात का विवाद जोर देता है.

 1.

 गर्भपात तर्क में कई समूहों ने यह निर्धारित करने की कि एक व्यक्ति क्या है और क्या नहीं है, विभिन्न मानदंडों के आसपास कुछ रेखा खींची है. उदाहरण केलिए, मेरी एना वारेन ने उसके व्यक्ति होने के मापदंड के रूप में पांच लक्षण (तर्क करने की क्षमता,आत्मसजगता, जटिल संप्रेषण इत्यादि) बताये हैं और गर्भपात को स्वीकार्य माना है क्योंकि भ्रूण इनसे बाहर है. ब्राऊच ब्रोंदी मस्तिष्क तरंगों का उपयोग किया है. मीचेल तुले ने जीव को मापदंड के रूप में माना और निष्कर्ष दिया कि भ्रूणहत्या और गर्भपात न्यायोचित हैं. जबकि वयस्क को मारना न्यायोचित नहीं है.

 दूसरी तरफ, पाल रामसे कुछ निश्चित जीन संरचना को परिभाषित लक्षण के रूप में दावा किया है.

 जॉन नुनान मनुष्यों के बारे विचार करना पसंद करते हैं और विभिन्न अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. उदाहरण के लिए वे जीवन शक्ति को मापदंड के रूप में मानने के खिलाफ तर्क डेरे हैं. क्योंकि नवजात और अशक्त तब नहीं होंगे क्योंकि वे दूसरों की मदद के बिना जिन्दा नहीं रह सकते. उसने किसी भी मापदंड को नकारा है जो भावनाओं की कमी को बुलावा देते हैं. जो इस आधार पर वयस्कों में पैदा कर सकता है कि यह हमें दूसरों की दौड़ को गैर-व्यक्तियों के रूप में बहार करने की अनुमति देगा, अगर हम सिर्फ उन्हें पर्याप्त रूप से असमान रूप से देख सकते हैं.

 ये दृष्टिकोण प्ररुपी है:

 गर्भपात के उद्देश्य से व्यक्ति की अच्छी स्थिति केलिए पर्याप्त परिस्थितियां जो संतुष्ट करती हैं, जबकि गर्भपात के मित्र व्यक्ति केलिए आवश्यक शर्तों के साथ काउंटर करते हैं जो भ्रूण की कमी महसूस करते हैं.

 किन्तु दोनों की पूर्वमान्यता है कि व्यक्ति की संकल्पना आवश्यक या पर्याप्त शर्तों की संकरी जैकिट में समाहित की जा सकती है.बल्कि व्यक्ति उन विशेषताओं का गुच्छा है जिनमें विवेकशीलता, एक आत्म-संकल्पना और मनुष्यों की परिकल्पना केवल एक हिस्सा है.

 व्यक्ति की क्या विशिष्टता है? व्यक्ति की हमारी संकल्पना में हम शामिल करते हैं, पहले कुछ निश्चित जैविकीय कारक-पूर्वज मनुष्यों से उत्पन्न,कुछ निश्चित जैविकीय बुनावट, हाथ,भुजाएँ, इत्यादि.गतिमान होने की क्षमता, श्वांस लेने, खाना,सोना,इत्यादि. मनोवैज्ञानिक कारक- संवेदना,प्रत्यक्ष,जीव की संकल्पना रखना, अपनी निजी इच्छाएँ और हित रखना, उपकरणों का इस्तेमाल करने की क्षमता,भाषा और प्रतीकों का उपयोग व समझ की क्षमता, संदेह, मजाक, गुस्सा,प्रसन्नता की क्षमता.

बौद्धिक कारक: तर्क करने व निष्कर्ष निकालने की क्षमता, अतीत के अनुभवों से सीखने व सामान्यकरण करने की योग्यता,भविष्योन्मुख होने,भविष्य के बड़े हित को देखकर वर्तमान के हित का य्त्याग करने की योग्यता इत्यादि. सामाजिक कारक भी हैं जैसे समूह में काम करने की योग्यता और सहकर्मी दबावों पर प्रतिक्रिया, दूसरों के हित के बारे में सोचने और प्रेम,साहस,सहानुभूति की योग्यता, पारस्परिक लाभ केलिए सबसे मिलकर काम करने की चाहत. इसी तरह क़ानूनी कारक भी हैं: कानून का विषय बनना औत कानून द्वारा सुरक्षित रहने की भावना, समझौता करने, मुकदमा करने की योग्यता,अपनी निजी सम्पति,वंशजनाम, नागरिकता,जनगणना में अपनी उपस्थिति इत्यादि.

 अब बिंदु यह है कि सूची अधूरी है और यह भी कि इस प्रत्येक बिंदु पर इसका विरोध उदाहरण भी पा सकते हैं. लोग तार्किकता को भी विचित्र तरह से प्रदर्शित करते हैं.उदाहरण केलिए किन्तु कोई अबौद्धिक है वह व्यक्ति बनने की योग्यता से असफल नहीं है. दूसरी तरह,कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन बहुतायत विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं फिर भी वे मनुष्य कहने में, कहलाने में विफल हैं जैसे आधुनिक रोबोट. आवश्यक और पर्याप्त विशेषताओं का कोई एक ऐसा एक मात्र ऐसी विशेषता नहीं है जो जिस पर इस आश्वासन के साथ लाइन खींच सकें. जो उसका निर्माण सचमुख में मनुष्य बना सकती है. जिसे यहाँ केवल विशेषताएँ हैं जो कम या ज्यादा प्रारुपी है.

 कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पर्याप्त और आवश्यक शर्तें दी ही नहीं जा सकती हैं. व्यक्ति के होने केलिए जीवित रहना एक आवश्यक शर्त हैं. किन्तु पर्याप्त शर्तों में गिरने या आवश्यक शर्तों से बाहर होने के बावजूद एक भ्रूण लिंग क्षेत्र में स्थित हैं जहाँ किसी व्यक्ति की हमारी संकल्पना इतनी सरल नहीं है. इस कारण से मैं इस प्रश्न का निर्णायक उत्तर सोचती हूँ जहाँ भ्रूण व्यक्ति है या नहीं, पहुँच से बाहर का है. (अलभ्य) यहाँ हम साधारण गलतियों के एक परिवार पर ध्यान दे सकते हैं जो व्यक्ति केलिए एक आवश्यक शर्त बताते हुए आगे बढ़ते हैं और यह दिखाता है कि भ्रूण इन विशेषताओं को रखता है. यह परिणामी की पुष्टि का एक रूप है. उदाहरण केलिए, कुछ ने गलती से इस प्रमेय से कि भ्रूण मानव है. इस निष्कर्ष केलिए कि वह मनुष्य है. सत्ता के रूप में मानते हुए हम यह गलत तर्क देते हैं कि क्योंकि भ्रूण जीवित और मानव दोनों है इसलिए यह मानवीय सत्ता है. यधपि, यह साफतौर पर देखा जा सकता है. भ्रूण इन पारिवारिक विशेषताओं में बहुत कम को रखता है जबकि नवजात शिशु इन विशेषताओं का बड़ा अनुपात रखता है और दो साल का ओर भी ज्यादा रखता है. ध्यान रहे कि परम्परागत गर्भपात विरोधी तर्क बहुत से तरीकों से इस बिंदु पर केन्द्रीत होता था जिसमें भ्रूण को बच्चे के सदृश्य माना. वे वयस्क के साथ असमानताओं के बावजूद भी उसके विकास पर जोर देते हैं. वे यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों के बारे में महसूस करना चाहिए. ये सब तर्क रास्ते करने के प्रासंगिक तर्क लगते हैं. इनका उद्देश्य यह दिखाना है कि भ्रूण सूची की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं को संतुष्ट करती है की उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए. यह भी ध्यान रहे कि भ्रूण जन्म के समय बहुत सी उन विशेषताओं को रखता है जो वह अपने प्रारम्भिक महीनों के विकास में हीन रखता था. यह हमें गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में अंतर करने का आधार देती है.

 ऐतिहासिक रूप से, जब व्यक्ति के अस्तित्व में आने का समय व्यापक भिन्नताएँ रखता है. मुस्लिम में गर्भधारण के 14 दिन से व्यक्ति शुरू होता है. कुछ मध्यकालीन अरस्तु का अनुसरण करते हुए पुरुष भ्रूण का 40 दिन और 80 दिन महिला भ्रूण के मानते हैं. 17 वीं शताब्दी तक यूरोप के सामान्य कानून भ्रूण को व्यक्ति की हत्या के रूप में स्पंदन के बाद शुरू करते हैं, वह समय जब गर्भवती महिला पहली बार अपने अंदर भ्रूण की गति को महसूस करती है. जैविकीय रूप से मानवीय सत्ता धीरे-धीरे विकसित होती है. हम यह आशा नहीं कर सकते कि कोई ऐसा विशेष समय या स्पष्ट विभाजित बिंदु है जब भ्रूण व्यक्ति के रूप में होता है.

 इन कारणों, से मेरा विश्वास है कि गर्भपात की बहस को समाप्त करने केलिए हमारी व्यक्ति की संकल्पना पर्याप्त स्पष्ट या निर्णायक नहीं है.

 2.

मान लो कि अंततः भ्रूण एक व्यक्ति है तो आगे क्या किया जाये? इस सम्बन्ध में जुतित जरिव थामसन का महत्वपूर्ण लेख “A डिफेन्स ऑफ अबोररसन” में ठीक ही चिन्हित किया है कि इस परम्परागत दृष्टिकोण के इस बिंदु पर भ्रूण निर्दोष व्यक्ति है और यह निष्कर्ष की मारना हमेशा ही गलत है, के बीच विधमान रिक्तता को पाटने केलिए कुछ अतिरिक्त तर्कों की आवश्यकता है. इस निष्कर्ष तक पहंचने केलिए हमें अतिरिक्त प्रमेय लेने की आवश्यकता होगी कि निर्दोष लोगों को मारना हमेशा ही गलत है. किन्तु निर्दोष लोगों को कभी-कभी मारना स्वीकार्य है. उदाहरण केलिए आत्मरक्षा के मामले में,उदाहरण केलिए, पागल वैज्ञानिक भोले-भाले लोगों को सम्मोहित बस से बाहर कूद कर निर्दोष यात्रियों को चाकू से आक्रमण करता है. यदि आपके ऊपर हमला हुआ है तो हम सहमत हैं कि आप सभी अपनी आत्म रक्षा केलिए आक्रमणकारी को मारने का अधिकार रखते हैं. यदि आपके जीवन को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है. यहाँ पर यह बात कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती है कि आक्रमणकारी दुर्भावनापूर्ण नहीं था. इसलिए, आपको मारना प्रतिशोधात्मक भावना आधारित नहीं था, केवल आत्मरक्षा केलिए था.

 आत्मरक्षा में आपको कितनी गंभीर चोट लग सकती है, यह चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है. आप किसी को अपने क्पोफ्रेट होने से बचने केलिए गोली नहीं मार सकते. इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि बचाव केवल गंभीर रूप से प्रभावित चाहे के बराबर हो सकता है. मृत्यु से बचने केलिए आप मार सकते हैं. लेकिन एक काली आंख से बचने केलिए आप केवल एक काली आंख या समकक्ष को प्रयुक्त कर सकते हैं. हालाँकि हमारी परम्पराएँ और कानून यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप किसी को चाहे पहुंचा सकते हैं किन्तु उससे ज्यादा नहीं जो बचा सकते थे.

 आक्रमण से रक्षा केलिए जिसका परिणाम बलात्कार की तरह गंभीर है, गंभीर रूप से पीटने या अंगुली खोने के रूप में होता है तो आप एक आंख को काला कर सकते हैं.

 इसके अतितिक्त, जो चोट आपको लग सकती है वह केवल आक्रमणकारी को रोकने या रोकने केलिए आवश्यक न्यूनतम होनी चाहिए. यहाँ तक कि यदि आप जानते हैं कि वह आपको मारने का इरादा रखता है, तो उसको मारना आप न्यायोचित नहीं ठहरा सकते यदि आप भाग कर उससे अपनी जान बचा सकते थे. आत्म रक्षा का उद्देश्य हानि से बचना है बजाय हानि को बराबर करना.(प्रतिशोधात्मक )

 गर्भावस्था के कुछ मामले यही समानानत्तर स्थिति रखते हैं. इध्पी, भ्रूण अपने आप में निर्दोष मासूम हैं किन्तु वह गर्भवती महिला के तंदुरस्त जीवन के एक खतरा है. शारीरिक- मानसिक. यदि गर्भावस्था उसके हित को थोड़ी सी धमकी है तो आत्मरक्षा केलिए गर्भपात करवाना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है. किन्तु यदि खतरा गंभीर धडकन या ऊँगली के नुकसान के साथ है, तो वह भ्रूण को मार सकती है यदि वह निर्दोष है तो भी. यदि भ्रूण द्वारा इससे कम हानि है तो उसे आत्म रक्षा केलिए मारना न्यायसंगत नहीं हो सकता . यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला को गर्भावस्था से मुक्ति मिलने का एकमात्र तरीका भ्रूण की मृत्यु से संलग्न है. इस प्रकार, आत्म रक्षा का बिंदु थोमस की इस बार का समर्थन करता है कि महिला केवल भ्रूण से आजादी का अधिकार रखती है. उसकी मृत्यु की मांग का अधिकार नहीं रखती है.

 आत्मरक्षा का प्रारूप बहुत सहायक है जब हम गर्भवती महिला की दृष्टि को लेते हैं. थोमसन के पूर्व साहित्य में, गर्भपात किसी तीसरे पक्ष(डॉक्टर) केलिए प्रश्न के रूप में बनाया गया था. एक डॉक्टर के रूप में क्या आप महिला के जीवन और भ्रूण के जीवन के बीच चयन का अधिकार रखते हैं. कुछ का दावा किया है कि यदि आप एक ऐसे राहगीर होते हैं जो इस बात का समान रूप से निर्दोष शिकार के बीच संघर्ष करता है तो आपके पास दूसरे की रक्षा में हत्या करने का कोई कारण नहीं होगा. वे निष्कर्ष देते हैं कि आत्मरक्षा प्रारूप निहित रखता है कि एक महिला अपना गर्भपात करवाने का प्रयास कर सकती है किन्तु डॉक्टर को इसकेलिए सहयोग नहीं करना चाहिए. मैं समझता हूँ कि तीसरी पार्टी (डॉक्टर) की स्थिति बहुत जटिल है. हमें आक्रमणकारी की बजाय पीड़ित की तरह महसूस करने की ओर प्रवृत होना चाहिए. दूसरी चीजें बाहर बराबर हैं. किन्तु यदि दोनों पक्ष निर्दोष हैं तो दूसरे तथ्यों पर विचार करना चाहिए. आप अपने पति की सहायता केलिए दौड़ेंगी चाहे वह हमलावर आक्रमणकारी था. या हमला हुआ है. यदि एक कृत्रिम निद्रावस्थावाला कुख्यात गंदी बस्ती वाला वायलिन वादक एक एक पीने पिलानेवालों की चुतड़ पर हमला कर रहे थे. तो हम उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे जो समाज केलिए अधिक मूल्य का है. यह सोच हमें कुछ मामलों में गर्भपात के समर्थन में लेने होंगे.

 लेकिन मान लीजिए कि आप एक कमजोर वरिष्ठ नागरिक हैं जो इनमेसे किसी एक के निर्दोष मंत्रमुग्ध से बचने की इच्छा रखते हैं., इसलिए आपने साथ देने केलिए एक अंगरक्षक को काम पर रखा है. यदि आप पर हमला किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि हम मानते हैं कि अंगरक्षक आपके एजेंट के रूप में कार्य करता है, आपको एक गंभीर चोट से बचाने केलिए हमलावर को मारने का अधिकार है. आपके आत्म रक्षा के अधिकार आपके एजेंट को हस्तांतरित कर दिया गया. मैं सुभाव देता हूँ कि ठीक इसी तरह से हमें डॉक्टर को गर्भवती महिला केलिए एक एजेंट के रूप में है वह शारीरिक रूप से अपने आपकी रक्षा करने में अक्षम है.

 आधुनिक तकनीकी को धन्यवाद है कि ऐसे मामले बहुत ही कम हैं.जिसमें गर्भावस्था को एक महिला के शारीरिक स्वास्थ्य केलिए एक खतरे के रूप में पोस्ट की गई थी, जो एक हमलावर को ===

 आत्मरक्षा निष्पक्ष कैसे हो सकती है जब नुकसान ज्यादा जटिल, सूक्ष्म और लम्बा दायरे को निहित रखते हैं.कुछ ओर काल्पनिक उदाहरण देखते हैं. मान लो, आप एक उच्चस्तरीय प्रशिक्षित सर्जन हैं जब और आप कृत्रिम निद्रावस्था के हमलावर द्वारा अपरिष्कृत कर लिए गए. वह कहता है कि आपको नुकसान पहुंचाना उसका इरादा नहीं है. लेकिन आपको पागल वैज्ञानिक के पास वापिस ले जाने केलिए, जिसकी योजना आपको अपने चिकित्सा ज्ञान के खिलाफ एक स्थाई मानसिक अवरोध केलिए सम्मोहित करने की है. ये सब स्वत: ही आपके भविष्य को खत्म कर देता है. जो आपके परिवार,आपने निजी सम्बन्धों और आपकी प्रसन्नता पर गंभीर खराब प्रभाव डालेगा. मुझे ऐसा लगता है कि इस सब दुष्परिणामों से बचने का एक ही रास्ता है कि उस निर्दोष हमलावर को मार दिया जाये. आप ऐसे करने को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं. आप अपने समृद्ध जीवन में आनेवाली नाटकीय घटना से अपने आपकी रक्षा कर सकते हैं. मैं सोचता हूँ कि यह दावा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अनचाहे,बलात्कार गर्भावस्था प्राय:इस तरह की ताउम्र प्रतिकूलताओं का आजीविका के सृजन में हानि के रूप में परिणाम रखती हैं. गर्भपात और आत्मरक्षा के प्रारूपों के बीच इस तरह की कई समानताएं के सम्बन्ध में विभिन्न तरह के दृष्टिकोण उठते हैं. आगे, मान लो कि ये सम्मोहित हमलावर रात में काम करते हैं ताकि यह अच्छी तरह से ज्ञात हो कि अँधेरे के बाद कभी भी अपने घर को छोड़ने की काफी असुविधा से उन्हें पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता है. एक दृष्टि यह भी है कि चूँकि आप रात में अपने घर पर रह सकते हैं, इसलिए यदि आप बाहर जाते हैं और इन सम्मोहित लोगों मेसे किसी एक के द्वारा चयन किया गया है तो रात में आप अपनी रक्षा का अधिकार नहीं रख सकते हैं.

 गर्भावस्था केलिए यह इस तरह की समान दृष्टि है कि गर्भावस्था को रोकने का एक ही तरीका है कि संयम रखो. अन्य लोग यह मान सकते हैं कि आपको कुछ बचाव जैसे कि गदा जो सम्मोहित व्यक्ति को उसकी हत्या किए बिना रोकना होगा. लेकिन यह रक्षा का परिणाम विफल है आपके लिए प्रस्तुत करने केलिए बाध्य है. चाहे चोट केलिए वह कितना ही गंभीर क्यों न हो. यह समान दृष्टिकोण है कि गर्भनिरोध ठीक है किन्तु गर्भपात सदैव गलत है. यहाँ तक की गर्भनिरोध विफल होने के मामले में भी.

 तीसरा मत यह है कि आप सम्मोहित व्यक्ति को केवल तभी मार सकते हैं यदि वह वस्तुतः आपको मारता हो किन्तु यदि वह केवल आपको चोट पहुंचाता है तो नहीं. यदि उस स्थिति के समान है कि गर्भपात उसी दशा में स्वीकार्य है जब महिला का जीवन बचाने केलिए मांग करता है. अतत: हम यह दृष्टिकोण रखते हैं कि हमलावर को मारना ठीक है, यहाँ तक कि यदि आपको थोड़ी भी असुविधा होती है और यह भी कि आप जानबूझकर सड़क पर बिना किसी संरक्षण या गदा के चहलकदमी करने गए जहाँ ये सब वारदातें घटती हैं, तो यह इस दृष्टिकोण के सदृश्य है कि गर्भपात मांग पर हमेशा उचित है.

 आत्मरक्षा प्रारूप हमें यह दिखाता है कि भ्रूणहत्या और गर्भपात में एक महत्वपूर्ण अंतर विधमान है, यहाँ तक की यदि संकल्पना के रूप में भ्रूण व्यक्ति है. बहुत से तर्क देंगे कि भ्रूणहत्या को उचित माने बिना गर्भपात को उचित ठहराने का एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्ति की कुछ विशेषताएँ हैं जो जन्म के समय रहती हैं. मिशेल तूली दावा करते हैं कि भ्रूणहत्या भी उचित है क्योंकि व्यक्ति की वास्तविक विशेषताएँ बच्चा जन्म लेने में कुछ समय बाद ग्रहण करता है किन्तु ये सभी विशेषताएँ विकसित होते मानव की हैं और भ्रूण तथा महिला के बीच सम्बन्ध की उपेक्षा करते हैं. उस स्थिति या उसके सहायता महिला के मानसिक स्वास्थ्य या समृद्ध जीवन केलिए गंभीर जोखिम है. उसके लिए इस खतरे से बचने केलिए भागना ही एक उपाय था. इसलिए समाधान भ्रूण की हत्या के साथ संलग्न नहीं है. जन्म के पहले इस तरह के समाधान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भ्रूण की महिला पर जैविकीय निर्भरता है. जन्म का बिंदु केवल भ्रूण कुछ और विशेषता ग्रहण करने तक महत्वपूर्ण नहीं है अपितु जन्म के बाद महिला भ्रूण को मारने की बजाय दूसरे साधनों से अपने आपकी रक्षा कर सकती है. इसलिए आत्मरक्षा गर्भपात को उचित ठहराने केलिए उपयोगी हो सकता है आवश्यक रूप से बिना भ्रूणहत्या को उचित ठहराए.

 3.

 दूसरी तरफ मान लो कि भ्रूण व्यक्ति नहीं है तो क्या गर्भपात नैतिक रूप से हमेशा स्वीकार्य होगा? गर्भपात के विरोधी इस बात से चिंतित हैं कि यदि भ्रूण व्यक्ति नहीं है तो हम उसके साथ किसी भी तरह का किया गया व्यवहार उचित है. यधपि, इसका अनुसरण नहीं किया जाता है. अवैयक्तिक चीजें हमारी नैतिक संहिता में कुछ विचारणीय मुद्दे रखती हैं. बेशक ये वो अधिकार नहीं रखती हैं(नैतिक उतरदायित्व भी नहीं रखती हैं) जो एक व्यक्ति को मिलते हैं. इसलिए उनके हित व्यक्तियों के हित से ज्यादा अधिरोहित हो सकते हैं. फिर भी, हम उनके साथ जो चाहें व्यवहार नहीं कर सकते हैं.

 इस संदर्भ में जानवरों के साथ व्यवहार महत्वपूर्ण बिंदु है. मोजमस्ती केलिए किसी कुते को सताना या बिना किसी कारण के जंगली पक्षियों को मारना इत्यादि. इनके साथ इस तरह का व्यवहार गलत होगा चाहे व्यक्ति की तरह के अधिकार नहीं रखते हैं. यधपि, कुछ लोग सोचते हैं कि परीक्षण केलिए भी कुतों का इस्तेमाल करना गलत है. कुछ मामलों में तो उन्हें बेहद पीड़ा से गुजरना पड़ता है. और इस कारण से उनके ऊपर किये गए प्रयोगों से निकली खोजें मानव के फायदे केलिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी फसलों की सुरक्षा और भोजन केलिए पक्षियों को मारना ठीक है. व्यक्तियों के अधिकार जानवरों के अधिकारों से भिन्न हैं इसलिए व्यक्तियों पर प्रयोग करना गलत है, यहाँ तक कि यदि उनको होनेवाली बड़ी पीड़ा के बाद फायदा होगा. आप इसके स्वैच्छिक विषय बन सकते हैं. किन्तु कर्तव्यातिरेक होगा. आप निश्चित रूप से जिनिपिंग होने से इंकार कर सकते हैं.

 किन्तु यह कैसे निर्धारित करें कि आप गैर-व्यक्तियों केलिए क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरा यह विश्वास है कि यह समस्या कठिन है. जिसकी कोई पर्याप्त व्याख्या विधमान नहीं है.उदाहरण केलिए, आप यह नहीं कहना चाहेंगे कि कुतों को सताना हमेशा ही सही होगा जब भी इनका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जब यह सताने वाले की संवेदनाओं को इतना खराब नहीं कर देता है कि वह लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है.यदि यह मामला है तो कुतों को सताना ठीक है. यदि आप निजीतौर पर करते हैं या सतानेवाला किसी निर्जन क्षेत्र में रहता है या उसके तुरंत बाद मर गया ताकि उसके कृत्य का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़े. यह पर्याप्त व्याख्या है क्योंकि जो कुछ भी जानवरों केलिए नैतिक दृष्टि है, यह असमर्थनीय होना है. यह कुछ कृत्यों केलिए एक सामान्य निर्देश है. =======न कि एक-एक मामले के लोगों पर पडनेवाले प्रभाव के आधार पर.

 हमें दो स्तरों पर भेद करने की जरूरत है. जिस पर किये गए कार्य के परिणामों को नैतिक को नैतिक तार्किकता की व्याख्या में ले सकते हैं. उपयोगिता पर परम्परागत आपति इस तथ्य पर केन्द्रीत है कि यह केवल विशेष मामलों में सभी परिणामों को ध्यान में रखते हुए पहले स्तर पर पूरी तरह से संचालित होता है. इस प्रकार, उपयोगितावाद “रेगिस्तानी द्वीप” और “लाइफ बोट” के जबाब केलिए खुला है क्योंकि ये मामले कार्यवाही के परिणामों को गंभीर रूप से सीमित करने केलिए युक्ति है.

 राल्स के सिद्धांत की एक प्रयोजनमूलक सिद्धांत के रूप में व्याख्या की जा सकती है. किन्रू यह प्रयोजनमूलकता उच्च स्तर पर संचालित होती है. इसकी मूलभावना के अनुसार समाज का नियमन करने केलिए सिद्धांतों का चयन करते हुए प्राक्ल्पनात्मक चयनकर्ता अपने निर्णय को उनके विभिन्न प्रकार के तंत्रों के कुल प्रभाव के आधार पर करते हैं.और यह भी की सामान्य नियमों को चुनने केलिए विवश हैं. जिनको लोग आसानी से सीख सके और लागू कर सके.नैतिक सिद्धांत का संचालन दूसरों के प्रति संवेदनात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के द्वारा संचालित होना चाहिए जो इन नैतिक सिद्धांतों को काम करने केलिए सुदृढ़ बनाये.

 लोगों को मारने के खिलाफ हमारा निषेध कुछ निश्चित नैतिक भावनाओं –सहानुभूति,करुणा,और अपराध के द्वारा संचालित होना चाहिए. किन्तु यदि ये प्रवृतियाँ सुसंगत समूह हैं, तो वे आगे ले जाते हैं- हम अधिरोहित कार्य करने की आवश्यकता रखते हैं और हम दूसरे अवैयक्तिकों के साथ भी इसी तरह की भावना महसूस करें.

 यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका रहती है. हमारा मनोवैज्ञानिक निर्माण इस बात केलिए तैयार करता है कि नैतिक सिद्धांत काम करे. जो अव्यैक्तिक चीजों के साथ हमारे कुछ व्यवहार को करने से रोकना चाहिए जो व्यक्तियों के जैसे ही महत्वपूर्ण हैं. यदि हमारे नैतिक नियम लोगों को दूसरे व्यक्तियों के साथ इस तरीके से अव्यैक्तिक व्यवहार करने की स्वीकृति देते हैं. जो हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाये तो यह सहानुभूति और प्रवृतियों को कमतर करता है जो नैतिक तंत्र के काम को संभव बनाता है. इससे हमें अपनी मूलदृष्टि का चयन करना जिसमें हम सामान्य रूप से जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को गलत मानते हैं. यहाँ तक की जानवर खुद इस तरह की दृष्टि के हिस्से बताता है कि ये वे जानवर हैं जिनका व्यवहार आदमियों की तरह हमारे नैतिक आचरण में सोचना चाहिए.

 इस सुसंगत दृष्टिकोण के कारण, मैं सोचता हूँ कि भ्रूण के साथ इस तरह की समानताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं. जन्म के एक सप्ताह पहले भ्रूण नवजात शिशु की तरह इतना होता है कि हम पहले के साथ इस तरहका अक्खड़ व्यवहार करने की स्वीकृति नहीं दे सकते जबकि बादवाले केलिए पूरी सहानुभूति और करुणा की अपने करते हैं. इस प्रकार, मैं सोचता हूँ कि गर्भपात विरोधी ताकतों वस्तुतः अपने मजबूत तर्क देते हैं जब भ्रूण और बच्चे के बीच समानताओं को चिन्हित करते हैं और जब वे भ्रूण के प्रति हमारे भावात्मक लगाव और सहानुभूति को जागृत करते हैं.

 हमें यह यद् रखना होगा कि गर्भधारण के पहले सप्ताहों में भ्रूण व्यक्ति की तरह नहीं होता है. जीन के एक सेट केलिए इन भावनाओं को विकसित करना कठिन है. जो अभी तक शिर,हाथ,धड़कन, छुने पर प्रतिक्रिया, अथवा अपने आप हिलने की क्षमता. इसलिए मुझे यह प्रतीत होता है कि जन्म और गर्भधारण के बीच स्लीपरी स्लोप का आरोप इतना स्लोपरी भी नहीं है. गर्भधारण की प्रारम्भिक अवस्था में मनोवैज्ञानिक कारणों से गर्भधारण का मुश्किल से ही हत्या से तुलना की जा सकती है. किन्तु बाद के चरणों में यह मनोवैज्ञानिक रूप से हत्या के समान है. एकरूपता का दूसरा स्रोत भ्रूण और वयस्क के बीच शारीरिक निरंतरता है. व्यक्तियों के प्रति हमारे रुख में हमारे शरीर का आश्चर्यजनक केन्द्रीय भूमिका है. एक दार्शनिक साहित्य में कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान केलिए शारीरिक पहचान कितनी दूर है. या विटगेंसटाइनकहते हैं कि मानवीय शरीर मानवीय आत्मा की सबसे बड़ी तस्वीर है. यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी, जब सभी इस पर सहमति रखते हैं कि शरीर अब एक व्यक्ति नहीं है, हम अभी भी मानवीय शरीर के प्रति सम्मान की भावनाओं संबंधी विस्तृत रीति-रिवाजों का पालन करते हैं. इसलिए यह उचित है कि हम एक व्यक्ति के शरीर के साथ शरीर के रूप में एक भ्रूण के प्रति सम्मान दिखाते हैं. मासेल तुले इस समरूपता को जानवरों में उपयोग करते हैं. वह दावा करता है कि बिल्ली के बच्चे को डुबाकर मारना सदैव स्वीकार्य है और भ्रूणहत्या के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं. किन्तु बिल्ली के बच्चे को डुबाना तभी स्वीकार्य है जब उसका जिन्दा रहना कठिनाई का कारण बन जाये. शायद यह छ:ओर बिल्लियों को खिलने और घर या अन्य घरों में उन्हें खोजने केलिए एक बोझ होगा. उन्हें भूखा रहने देने का विकल्प डूबने से भी अधिक दुःख पैदा करता है. चूँकि बिल्ली का बच्चा अपने अधिकार दूसरे के हाथों से प्राप्त करता है इसलिए यह हमारे रुख के साथ सुसंगत होने की जरूरत रखता है. उनके हित सदैव एक सम्पूर्ण व्यक्ति के हितों से अतिरोहित हैं. किन्तु यदि उनका जीवित रहना लोगों केलिए कोई असुविधा पैदा नहीं करता है तो उनको डुबोना गलत है.

 गर्भपात के बारे में तुले का तर्क ऐसे ही कारण से गलत है. यहाँ तक यदि भ्रूण व्यक्ति नहीं है तो भी व्यक्ति से साम्यता रखने के कारण गर्भपात सदैव स्वीकार्य नहीं है.

 मैं थोमस से सहमत हूँ कि 7 महीने की गर्भावस्था में महिला केवल इसलिए गर्भपात करवाना की उनको यूरोप के भ्रमण पर जाना है. गर्भावस्था के प्रारम्भिक महीनों में जब भ्रूण मुश्किल से ही बच्चे से समरूपता रखता है, तो जब भी यह गर्भवती महिला या परिवार के हित में है तो गर्भपात स्वीकार्य है. कारण गर्भपात अपने आप में कष्टदायक और असुविधाजनक कार्य है. मध्य महीनों में, जब भ्रूण बच्चे के समरूप होना शुरू होता है तो गर्भपात तभी उचित है जब गर्भावस्था को जारी रखना अथवा बच्चे को जन्म माँ अथवा बच्चे की किसी भी प्रकार हानि देना- मनोवैज्ञानिक, सामाजिक,आर्थिक का कारण बनता है. बाद के महीनों का गर्भावस्था, यहाँ तक की हमारी इस धारणा के अनुसार भी कि भ्रूण व्यक्ति नहीं है, गर्भपात गलत है सिवाय इसके की बच्चे का जन्म माँ को कोई गंभीर खतरे अथवा मृत्यु से बचने केलिए है.

 सर्वोच्च न्यायालय ने संकल्पना और जन्म के बीच कथित फिसलन में समान बदलाओं को मान्यता दी है. गर्भपात की मनोवैज्ञानिक,वितीय और शारीरिक कीमत की दृष्टि से शायद प्रस्तावित नैतिक समाधान के साथ सबसे कथित अनुपस्थिति होगी, जो इसलिए निष्कर्ष देता है कि प्रथम, गर्भपात के मुद्दे को हल करने केलिए हमारी व्यक्ति की धारणा को लागू करना पर्याप्त नहीं होगा. आखिर में, मानवीय सत्ता का जैविकीय विकास क्रमशः धीरे-धीरे होता है. दूसरा, भ्रूण व्यक्ति है या नहीं, गर्भपात, गर्भावस्था के प्रारम्भिक महीनों में, तमाम तरह की हानियों से बचने केलिए और बाद के महीनों में माँ अथवा बच्चे के जीवन को निर्णायक रूप से खतरा अथवा मृत्यु से बचने केलिए उचित है.